



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक :- 04.10.2024

थाना बिनौली पुलिस एवं सर्विलांस सैल की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 222/24 धारा 103(1)/238 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 महिला अभियुक्ता सहित अन्य 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक कार स्विफ्ट डिजायर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.09.2024 को थाना बिनौली पर वादी मलूक पुत्र महाराम सिंह निवासी ग्राम बुढैडा थाना बिनौली जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा अज्ञात महिला की हत्या कर शव को बिढोडे में रखकर जला दिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 222/24 धारा 103(1)/238 बीएनएस पंजीकृत किया गया था ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस एवं सर्विलांस सैल की



गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस एवं सर्विलांस सैल की

संयुक्त टीम द्वारा थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 222/24 धारा 103(1)/238 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 महिला अभियुक्ता सहित अन्य 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक स्विफ्ट डिजायर नं0 UP17K0004 बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-लखमी पुत्र विशन निवासी ग्राम मुजफ्फरपुर पोईस थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2- रवि पुत्र लखमी निवासी ग्राम मुजफ्फरपुर पोईस थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3- एक महिला

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि मृतक महिला उम्र करीब 23 वर्ष की शादी वर्ष 2018 में गाजियाबाद में हुई थी । शादी के कुछ साल बाद ही मृतक महिला का अपने पति व ससुराल वालो से अनबन हो गयी और उनसे अलग होकर बहालगढ हरियाणा मे प्राईवेट नोकरी करके रहने लगी । वही से उसके सम्बन्ध दिल्ली के एक व्यक्ति के साथ हो गये थे । करीब 1 वर्ष से वह उस व्यक्ति के साथ रह रही थी और उससे शादी करना चाहती थी। मृतक महिला का शादी मे मिला जेबर उसके मायके में रखा हुआ था, मृतक महिला अपना जेवर लेकर दिल्ली के व्यक्ति के साथ शादी करके रहना चाहती थी । इसी बात को लेकर हम उसके खिलाफ थे । मृतक महिला दिनांक 28.09.2024 की शाम को अपने मायके ग्राम मुजफ्फरपुर पोईस में अपने जेवर लेने आई थी । इसी बात को लेकर मृतक महिला तथा हमारे बीच झगडा हुआ था । इसी के चलते दिनांक 28/29.09.24 की रात्री में हम तीनों ने मृतक महिला का गला घोटकर घर में ही उसकी हत्या कर दी थी तथा रवि जो कि बागपत मे मारुति वर्कशाप मे काम करता था । वह अपने साथ एक स्विफ्ट डिजायर गाडी नं0 UP17K0004 तथा एक कैन मे इंजन आयल भी ले आया । हम तीनों ने मृतक महिला के शव को बोरे मे डालकर स्विफ्ट डिजायर गाडी मे रखकर ग्राम बुढेडा के जंगल में अंधेरे का फायदा उठाकर खाली पडे एक बिटोडे में रखकर इंजन आयल डालकर आग लगा दी थी ।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक स्विफ्ट डिजायर कार नं0 UP17K0004 ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक मगनवीर सिंह गिल थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-प्रभारी सर्विलांस सैल श्री राकेश शर्मा मय टीम ।
- 3-व0उ0नि0 नरेश चन्द यादव थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 4-म0उ0नि0 शीलेश चौधरी थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 5-है0का0 15 यशविन्दर थाना बिनौली जनपद बागपत ।

6-है0का0 368 गौरव कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।

7-है0का0 525 दीपक भाटी थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली खेकडा

दिनांक 04.10.24

थाना कोतवाली खेकडा पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 321/24 धारा 4/25 आयुध अधियुक्त पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

हरवीर पुत्र लीलू निवासी सुन्हैडा थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतहास-

1. मु0अ0सं0 371/22 धारा 379/411 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।

2. मु0अ0सं0 411/23 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0सं0 321/24 धारा 4/25 आयुध अधियुक्त थाना खेकडा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण

- एक अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-का0 911 श्यामवीर थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3-का0 1075 मनीष कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 04.10.2024

थाना खेकडा व साइबर सैल की संयुक्त पुलिस टीम ने थाने के मु0अ0सं0 282/24 धारा 319(2)/318(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस व 66सी/66डी आईटी एक्ट का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से धोखाधड़ी कर निकाले गये रूपयों में से 5 लाख 50 हजार रुपये नगद व एक मोबाइल बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.09.24 को थाना खेकडा पर आवेदक प्रवीण कुमार शर्मा पुत्र फेरू सिंह शर्मा निवासी नेहरू नगर खेकडा ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा धोखाधड़ी कर छल के प्रयोजन से कूटरचना करते हुए कूटरचित दस्तावेज व एटीएम को असली के रूप में प्रयोग कर वादी के तीन बैंक खातों से 20 लाख रुपये अवैध रूप से निकाल लिये हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 282/24 धारा 319(2)/318(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस व 66सी/66डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया था।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस व साइबर सैल की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 282/24 धारा 319(2)/318(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस व 66सी/66डी आईटी एक्ट का सफल अनावरण करते हुए धोखाधड़ी कर फर्जी ATM बनवाकर

रुपये वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से धोखाधडी कर निकाले गये रूपयों में से 5 लाख 50 हजार रुपये नगद व एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -


मौहम्मद तारिक पुत्र ग्यास आलम निवासी मौहल्ला जवाहर नगर अछलदा रोड कस्बा व थाना विधुना जिला औरैया तथा हाल पता ग्राम याकूबपुर थाना फेस 2 जनपद नोएडा।

बरामदगी का विवरण-

- धोखाधडी कर निकाले गये रूपयों में से 5 लाख 50 हजार रुपये नगद।
- 01 मोबाइल फोन।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-नि0 श्री ओमप्रकाश थाना खेकडा।
- 2-उ0नि0 श्री उपदेश शर्मा साईबर सैल बागपत।
- 3-उ0नि0 श्री देवेन्द्र थाना खेकडा।
- 4-का0 783 हिमांशु थाना खेकडा।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 04.10.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 759/24 धारा 351(2)/352/109 बीएनएस एवं 3/25 आयुध अधिनियम में वांछित 10,000 रुपये के इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06-09-2024 को थाना कोतवाली बागपत पर वादिया ने सूचना दी कि अभियुक्त मनीष द्वारा वादी के पति पंकज के साथ गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से फायर किया गया जिससे वादी का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 759/24 धारा 351(2)/352/109 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं गैंगस्टर/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 759/24 धारा 351(2)/352/109 बीएनएस एवं 3/25 आयुध अधिनियम में वांछित 10,000 रुपये के इनामी अभियुक्त मनीष को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मनीष पुत्र महकार निवासी ग्राम पवरसा थाना दौराला जनपद मेरठ ।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0- 223/18 धारा 120बी/392/411/420 भादवि थाना भौजपुर गा0बाद
- 2-मु0अ0सं0- 668/18 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना भौजपुर गा0बाद
- 3-मु0अ0सं0- 157/15 धारा 307 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट थाना मोदीनगर गा0बाद
- 4- मु0अ0सं0- 501/15 धारा 307 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट थाना मोदीनगर गा0बाद
- 5-मु0अ0सं0- 818/23 धारा 363/376/504/506 भादवि व ¾ पोक्सो अधि0 थाना बागपत जनपद बागपत
- 6-मु0अ0सं0- 938/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बागपत जनपद बागपत
- 7-मु0अ0सं0- 181/16 धारा 392/411/506 भादवि थाना छपार मु0नगर
- 8-मु0अ0सं0- 185/16 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना छपार मु0नगर
- 9-मु0अ0सं0- 51/21 धारा 307 भादवि थाना मंसूरपुर मु0नगर
- 10-मु0अ0सं0- 52/21 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना मंसूरपुर मु0नगर
- 11- मु0अ0सं0- 55/21 धारा 379/511 भादवि थाना मंसूरपुर मु0नगर
- 12- मु0अ0सं0- 481/20 धारा 307/393/420/465 भादवि थाना ट्रांसपोर्टनगर मु0नगर
- 13- मु0अ0सं0- 485/20 धारा 307 भादवि थाना ट्रांसपोर्टनगर मु0नगर
- 14- मु0अ0सं0- 486/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना ट्रांसपोर्टनगर मु0नगर
- 15- मु0अ0सं0- 162/16 धारा 307/392/411 भादवि 3 सार्वजनिक सम्पत्ति अधि0 थाना दौराला मेरठ
- 16- मु0अ0सं0- 16/19 धारा 205/419 भादवि थाना पल्लवपुरम मेरठ
- 17- मु0अ0सं0- 93/21 धारा 392/411 भादवि थाना सरधना मेरठ
- 18-मु0अ0सं0- 487/20 धारा 392/411 भादवि थाना सरधना मेरठ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र0नि0 श्री दीक्षित कुमार त्यागी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-व0उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री रक्षपाल सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

- 4- उ0नि0यू0टी0 श्री शारिक अली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 5- है0का0 202 नरेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 6- आरक्षी 846 नरेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 7- आरक्षी 885 हरिओम कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 8- आरक्षी 1120 धीरज कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 04.10.2024

थाना बिनौली पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही- जनपद बागपत पुलिस द्वारा जनपद मे अपराधों की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता-

अशफाक पुत्र बन्दे इलाही निवासी ग्राम दरकावदा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री शिव सिंह मीणा थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 669 रामकिशन थाना बिनौली जनपद बागपत ।